राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(02) राज/वाद/19 जयपुर दिनांकः 12/3/19

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष।

::परिपत्र::

विधि अधिकारियों को देय विविध खर्चों के संबंध में विधि एवं विधिक कार्य (राजकीय वादकरण) विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.15(6)राज/वाद/01 पार्ट दिनांक 14.02.13 को संशोधित करते हुए नवीन संशोधित आदेश क्रमांक प.12(2)राज/वाद/19 दिनांक 26.02.19 वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विधि अधिकारीगण उक्त संशोधित आदेश के अनुरूप विधि अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 26.02.19 की पालना अक्षरतः सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग उनके विभाग से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों में, विभाग द्वारा नियुक्त प्रकरण प्रभारी अधिकारीगण को यह निर्देश प्रदान करें कि वे विधि विभाग के उक्त आदेश दिनांक 26.02.19 के अनुसार विधि अधिकारीगण को विविध खर्चो का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। इस विभाग के उक्त आदेश दिनांक 26.02.19 में वर्णित राशि से अतिरिक्त राशि के भुगतान की स्वीकृति अपने प्रशासनिक विभाग के सक्षम स्तर पर प्राप्त करें।

वित्त विभाग द्वारा विविध खर्चों के संबंध में स्वीकृत/अनुमोदित दरों (आदेश दिनांक 26.02.19 में वर्णितानुसार) के अतिरिक्त राशि देय नहीं है। उक्त स्वीकृति के विपरीत परिस्थिति में प्रकरण विधि विभाग के संज्ञान में लाया जावें।

ह0
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
2. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उपराजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक/सहायक राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त गवर्नमेंट कौंसिल/एडि0 गवर्नमेंट कौंसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल/असिस्टेन्ट गवर्नमेंट कौसिल, जयपुर/जोधपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव,विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(2) राज/वाद/19 जयपुर दिनांक 26/2/19

::आदेश ::

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(6)राज/वाद/01 दिनांक 14.02.13 को संशोधित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर/जोधपुर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे माननीय महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उपराजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल/एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को डिक्टेशन एवं टंकण चार्जेज, फोटोस्टेट चार्जेज, वकालतनामा (मय निर्धारित शुल्क एवं अधिवक्ता कल्याण कोष शुल्क के स्टाम्प्स), फाईल कवर, लेस, शपथ पत्र प्रमाणीकरण, निर्णय की प्रमाणित प्रति चार्जेज एवं अन्य भुगतान हेतु देय दरों को निम्नानुसार रिविजन/संशोधित किया जाता है:-

क्र0सं0	मद का नाम	दिनांक 14.02.13 के अनुसार वर्तमान दरें	संशोधित/रिविजन दरें
01	डिक्टेशन व टंकण चार्जेज प्रति पृष्ठ	40.00	50.00
02	फोटो स्टेट चार्जेज प्रति पृष्ठ	1.00	2.00
03	वकालत नामा (मय निर्धारित शुल्क एवं अधिवक्ता कल्याण कोष शुल्क व स्टाम्प्स)	100.00	200.00
04	फाईल कवर, टेग्स आदि	100.00	150.00
05	शपथ पत्र प्रमाणीकरण चार्जेज	50.00	100.00
06	निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्ति (सैकण्ड)	200.00	300.00
07	विविध खर्चे	100.00	200.00

अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/राजकीय अभिभाषक/अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक को विविध खर्चों हेतु देय 300/-रू के स्थान पर प्रति प्रकरण 600/-रू देय होगें।

शेष शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक एफ.15(6)राज/वाद/01 दिनांक 14.02.2013 व 06.07.2009 के अनुसार रहेगी।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 101900695 दिनांक 20.02.19 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

उक्त दरें आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी होगी।

ह0

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
3. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर्स।
5. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
6. वित्त (व्यय-5) विभाग को उनकी आई.डी.संख्या 101900695/एफ.डी./ई-5 दिनांक 20.02.19।
7. राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउन्सिलगण, जयपुर/जोधपुर।
8. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव,विधि